बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो – 27 / 2017– / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत चार (4) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम॰आई॰टी॰ मुजफ्फरपुर, बी॰सी॰ई॰ भागलपुर, गया अभियंत्रण महाविद्यालय एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में 100 Mbps Bandwidth की Internet Leased Line की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक शुल्क की राशि रू॰ 45,46,000=00 (पैंतालिस लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के पत्रांक–4413 / 17, दिनांक 06.07.2017 के आलोक में विभागान्तर्गत चार (4) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम॰आई॰टी॰ मुजफ्फरपुर, बी॰सी॰ई॰ भागलपुर, गया अभियंत्रण महाविद्यालय एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में 100 Mbps Bandwidth की Internet Leased Line की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक शुल्क की राशि रू॰ 45,46,000=00 (पैंतालिस लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52–मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. पटना में भुगतेय उक्त बैंक ड्राफ्ट "BIHAR STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORP. LTD." के पक्ष में होगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख सचिवालय कोषागार, निर्माण भवनख बेली रोड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो – 27/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो – 27/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो – 27/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, एम०आई०टी० मुजफ्फरपुर, बी०सी०ई० भागलपुर, गया अभियंत्रण महाविद्यालय एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो – 27/2017– 1992 /पटना, दिनांक– 18/8/017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.8.17

सरकार के उप सचिव

18/8/17